न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– शीलावती मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 75/2019

1. हनुमानाराम
2. नौरंगाराम
3. बिरबल
4. मूलाराम
5. छोटूराम

पुत्रगण दीपराम जाति जाट निवासीगण ग्राम ताजसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर राजस्थान

6. राकेश कुमार
7. भंवरलाल

पुत्रगण बिरजूराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ताजसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर राजस्थान

8. परमेश्वरी बेवाह बिरजूराम जाति जाट निवासी ग्राम ताजसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर राजस्थान

...वादीगण

बनाम

1. हिरबक्स
2. सुल्तान

पुत्रगण भूराराम जाति जाट निवासीगण ग्राम ताजसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर राजस्थान

3. तहसीलदार महोदय फतेहपुर जिला सीकर राज0

––प्रतिवादीगण

वाद बाबत उद्घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा व संशोधन खाता

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर, सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheela Vati Meena
Date: 2020.09.22 13:13:52 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता

श्री मौन सिंह – वादीगण

श्री राजेश कुमार – प्रतिवादीगण

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 17.02.2020

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 20/2 रकबा 1.6700है0 जिसका नया खसरा नम्बर 38 रकबा 1.6700है0 व खसरा नम्बर 24 रकबा 1.88है. जिसका नया खसरा नम्बर 43 रकबा 1.88है0 वाके ग्राम बलोद छोटी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है।

उक्त भूमियां खसरा नम्बर 20/2 रकबा 1.6700है0 जिसका नया खसरा नम्बर 38 रकबा 1.6700है0 व खसरा नम्बर 24 रकबा 1.88है. जिसका नया खसरा नम्बर 43 रकबा 1.88है0 वाके ग्राम बलोद छोटी तहसील फतेहपुर वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रिक वंशानुगत कृषि भूमियां है जिनका पूर्व में काबिज खातेदार काश्तकार उनका पूर्वज श्योजीराम था तथा कालान्तर में उक्त भूमियां भूराराम व दीपराम के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की रहती रही है।

उक्त भूमियों में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का 1/2 हिस्सा भूमि भाग हुआ किन्तु वादीगण के दादा श्योजीराम का स्वर्गवास वादीगण के पिता की अल्पआयु में ही हो जाने के कारण परिवार का मुख्यिा वा कर्ता खानदान उनका सगा बड़ा भाई भूराराम होने तथा उक्त भूमियां ग्राम बलोद छोटी में स्थित होकर ग्राम बलोद में वादीगण के पिता की कम पहचान होने के कारण खाता अकेले प्रतिवादीगण के पिता स्व भूराराम अकेले के नाम गलत व अवैध रूप से बन गया जो वादीगण के उक्त भूमियों के हक अधिकारों के समक्ष सर्वथा अकृत शून्य व प्रभावहीन है।

उक्त भूमि खसरा नम्बर 20/2 रकबा 1.6700हैक्टेयर जिसका नया खाता नम्बर 38 रकबा 1.6700है0 व खसरा नम्बर 24 रकबा 1.88 हैक्टेयर जिसका नया खसरा नम्बर 43 रकबा 1.88है0 वाके ग्रमा बलोद छोटी तहसील फतेहपुर जिला सीकर का वादीगण के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheela Vati Meena
Date: 2020.09.22 13:13:52 IST
Reason: SelfAttested

पिता दीपाराम व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 के पिता भूराराम के मध्य विभाजन बहुत पहले वादीगण का पिता भूमि खसरा नम्बर 20/2 रकबा 1.6700हैक्टेयर जिसका नया खाता नम्बर 38 रकबा 1.6700है0 को अकेला काश्त करता रहा और अब वादीगण अकेले काश्त करते है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी वादीगण का ही कब्जा काश्त दर्ज है खसरा नम्बर 24 रकबा 1.88है0 जिसका नया खसरा नम्बर 43 रकबा 1.88 है0 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का पिता भूराराम अकेला काश्त करता था तथा अब प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 अकेले काश्त करते है।

भूमि खसरा नम्बर 20/2 रकबा 1.6700हैक्टेयर जिसका नया खाता नम्बर 38 रकबा 1.6700है0 सम्पूर्ण वादीगण की पैत्रिक वंशानुगत कृषि भूमि होकर राज0 का0 अधिनियम प्रभाव में आने के समय से ही वादीगण के पिता सव. दीपाराम के एकान्तिक कब्जे काश्त में होने तथा उनके जीवन पर्यन्त अकेले का कब्जा काश्त रहने व अब वादीगण के अकेलो के कब्जे काश्त में होने से वादीगण को उक्त भूमि खसरा नम्बर 20/2 रकबा 1.6700हैक्टेयर जिसका नया खाता नम्बर 38 रकबा 1.6700है0 के हक खातेदारी काश्तकारी जो उन्हें बहुत पहले ही हालिस हो गये थे अपने नाम उदघोषित करवाने के अधिकारी है।

उक्त भूमि खसरा नम्बर 20/2 रकबा 1.6700हैक्टेयर जिसका नया खाता नम्बर 38 रकबा 1.6700है0 वादीगण की पैत्रिक वंशानुगत होकर हमेशा से उनके एकान्तिक कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की होने तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी वादीगण का ही कब्जा दर्ज होने पर भी गलत व अवैध रूप से खाता संख्या स्वं भूराराम के नाम दर्ज होने से वादीगण के उक्त भूमि के हक अधिकार आक्रमणग्रस्त होकर उन्हें हानि होती है वादीगण उक्त भूमि का खाता अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में संशोधित करवाने तथा खाता बनाम स्व. भूराराम निरस्त उदघोषित करवाने के अधिकारी है प्रतिवादीगण ने आज तक उक्त भूमि का खाता दुरुस्त नहीं करवाया अतः वाद संस्थित करना आवश्यक हुआ।

वाद वादीगण बहक प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 20/2 रकबा 1.6700हैक्टेयर जिसका नया खाता नम्बर 38 रकबा 1.6700है0 वाके ग्राम बलोद छोटी तहसील फतेहपुर का काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण संख्या 01 ता 05 का प्रत्येक 1/6, 1/6 हिस्सा व वादीगण संख्या 06 ता 08 का संयुक्त 1/6 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheela Vati Meena
Date: 2020.09.22 13:13:52 IST
Reason: SelfAttested

उदघोषित किया जावे तथा उक्त भूमियों के 1/2 हिस्सा भूमि भाग का खाता बनाम भूराराम पुत्र श्योजी जाति जाट निवासी ताजसर निरस्त उदघोषित किया जावे।

वादीगण के हक अधिकार अनुसार खाता वादीगण के नाम संशोधित किया जावे व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल देने से बाज रहे।

मिसल मूर्तिव की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री राजेश कुमार एड0 ने वकालतनामा पेश किया व इकबाली जवाब दावा पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के मध्य राजीनामा पेश हुआ। सशपथ बयान पीडब्यू 1 हनुमानाराम, पीडब्ल्यू 2 बीरबल व पीडब्ल्यू 3 हरफूल के पेश हुए जिनमें उन्होंने वाद पत्र के अनुसार दर्ज किया है। बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गयी।

पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण डिकी किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 20/2 रकबा 1.6700हैक्टेयर जिसका नया खाता नम्बर 38 रकबा 1.6700है0 वाके ग्राम **बलोद छोटी** तहसील फतेहपुर का काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण संख्या 01 ता 05 **का प्रत्येक** 1/6, 1/6 हिस्सा व वादीगण संख्या 06 ता 08 का संयुक्त 1/6 हिस्सा उदघोषित किया जाता है तथा उक्त भूमियों के 1/2 हिस्सा भूमि भाग का खाता बनाम भूराराम पुत्र श्योजी जाति जाट निवासी ताजसर निरस्त उदघोषित किया जाता है।

(शीलावती मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर

पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheela Vati Meena
Date: 2020.09.22 13:13:52 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास...............शीलावती मीणा (आर.ए.एस..)..

1. हनुमानाराम
2. नोरंगाराम
3. बिरबल
4. मूलाराम
5. छोटूराम

   पुत्रगण दीपराम जाति जाट निवासीगण ग्राम ताजसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर राजस्थान
6. राकेश कुमार
7. भंवरलाल

   पुत्रगण बिरजूराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ताजसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर राजस्थान
8. परमेश्वरी बेवाह बिरजूराम जाति जाट निवासी ग्राम ताजसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर राजस्थान

...वादीगण

<u>बनाम</u>

1. हिरबक्स
2. सुल्तान

   पुत्रगण भूराराम जाति जाट निवासीगण ग्राम ताजसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर राजस्थान
3. तहसीलदार महोदय फतेहपुर जिला सीकर राज0

——प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत उद्घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा व संशोधन खाता</u>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheela Vati Meena
Date: 2020.09.22 13:13:52 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नं__75...............................सन्....2019..

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे..

व हाजिरी...श्री भीम सिंह एडवोकेट..........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्री राजेश कुमार एड0 ....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 20/2 रकबा 1.6700हैक्टेयर जिसका नया खाता नम्बर 38 रकबा 1.6700है0 वाके ग्राम बलोद छोटी तहसील फतेहपुर का काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण संख्या 01 ता 05 का प्रत्येक 1/6, 1/6 हिस्सा व वादीगण संख्या 06 ता 08 का संयुक्त 1/6 हिस्सा उदघोषित किया जाता है तथा उक्त भूमियों के 1/2 हिस्सा भूमि भाग का खाता बनाम भूराराम पुत्र श्योजी जाति जाट निवासी ताजसर निरस्त उदघोषित किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें।

निज.........– ....मुबलिग................–.....................बाबत.......................–.............

....

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह................–.......................फीसदी सालाना आज की तारीख

से

तारीख अदायगी तक...का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....24......माह .....फरवरी..........सन् 2020 को जारी की गई।

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

दस्तखत...

ओहदा............(शीलावती मीणा)..........................

उपखण्ड अधिकारी

फतेहपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheela Vati Meena
Date: 2020.09.22 13:13:52 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	–	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	–		मुतफरिक	–	
मीजान	3			1	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।

उपखण्ड अधि...
फतेहपुर ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheela Vati Meena
Date: 2020.09.22 13:13:52 IST
Reason: SelfAttested